भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 119#
दिनांक 20.07.2026 को उत्तर देने के लिए

अवैध खनन और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम

119 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (एमएसएस) द्वारा संदिग्ध अवैध खनन के राज्य-वार कुल कितने अलर्ट (ट्रिगर्स) जारी किए गए हैं;
(ख) इन प्राप्त अलर्ट्स में से कितने मामलों में राज्य सरकारों द्वारा जमीनी स्तर पर भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई की गई है; और
(ग) देश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 23ग के तहत राज्यों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख) खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) द्वारा पिछले दो वर्षों (2023-24 और 2024-25) के दौरान उत्पन्न अलर्ट (ट्रिगर्स) का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	उत्पन्न ट्रिगर्स	राज्य द्वारा सत्यापित किए गए ट्रिगर्स	अनाधिकृत खनन की पुष्टि हुई
आंध्र प्रदेश	18	11	0
असम	2	0	0
बिहार	1	0	0
छत्तीसगढ़	39	2	0
गोवा	11	11	6

गुजरात	33	17	0
हिमाचल प्रदेश	8	0	0
जम्मू और कश्मीर	20	20	1
झारखंड	13	0	0
कर्नाटक	11	11	2
मध्य प्रदेश	50	34	5
महाराष्ट्र	10	0	0
मेघालय	34	0	0
ओडिशा	9	0	0
राजस्थान	12	0	0
तमिलनाडु	15	3	1
तेलंगाना	4	3	0
उत्तर प्रदेश	5	0	0
कुल योग	295	112	15

उपरोक्त तालिका के अनुसार, 295 ट्रिगर्स में से 112 मामलों में, संबंधित राज्यों द्वारा सत्यापन किया गया है और 15 मामलों में अनाधिकृत खनन की पुष्टि हुई है।

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण तथा उससे संबंधित प्रयोजनों पर नियंत्रण रखना राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तथापि, केंद्र सरकार ने देश भर में अवैध खनन को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 21 और 23ग के साथ पठित धारा 30ख और 30ग में, अन्य बातों के साथ-साथ, फर्जी परिवहन परमिट आदि के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को पांच वर्ष तक के कारावास और प्रति हेक्टेयर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण से संबंधित अपराधों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ii) खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (बायसेग), गांधीनगर के सहयोग से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाना और अवैध खनन की घटनाओं की जांच के लिए पट्टा सीमा के 500 मीटर बाहर तक के क्षेत्र की निगरानी करना है।

*****